

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री परवेज अहमद, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी, श्री रघुनाथ प्रसाद क्याल राआउमावि
खिरोड़, झुन्झुनून् जन्म तिथि 04.04.1977 को हज यात्रा हेतु दिनांक 20.07.2019 से 12.09.2019 तक (कुल 55
दिवस) मक्का व मदिना (सऊदी अरब) विदेश यात्रा जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की
जाती है :-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
 2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे। अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
 3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
 4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 5. सक्षम अधिकारी विदेशयात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे :—
 - (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (iii) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (iv) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
 6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
 7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
 8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
 9. विदेश प्रवास के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 10. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
 11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

W. S.

(नथमल डिडेल)

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

ਬੀਕਾਨੇਰ

क्रमांक—शिविरा / माध्य / संस्था / सी—१ / अंग्रेजी—संस्कृत / विदेश यात्रा—एनओसी / 2019 दिनांक— ०४।०७।२०१९

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाथे एव आवश्यक कायवाहा हतु प्राष्ट-
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाथे एव आवश्यक कायवाहा हतु प्राष्ट-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
 2. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर संभाग, चूर्ण
 3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एवं पदेन बीअरीसीएफ समसा पं.स. नवलगढ़, झुन्झुनूं
 4. प्रधानाचार्य, श्री रघुनाथ प्रसाद क्याल राआउमावि खिरोड़, झुन्झुनूं
 5. सिस्टम ऐनेलिसिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
 6. श्री परवेज अहमद, प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) अंग्रेजी, श्री रघुनाथ प्रसाद क्याल राआउमावि खिरोड़,
 7. झुन्झुनूं
रक्षित पत्रावली

याल राआउमाव खिराड,

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर